



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 25.03.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मु0अ0सं0 97/2024 धारा 336/323/504/506 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.03.2024 को वादी श्री सुभाष चन्द (ग्राम प्रधान) पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र अशोक 2.भौले व 3.भानू पुत्रगण निपेन्द्र निवासीगण मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर वादी के घर पर होली मिलन के लिये आये तथा शराब की मांग करने लगे । वादी द्वारा शराब के लिये मना करने पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच तथा अभद्रता की गयी एवं अभियुक्त अनुज द्वारा तमंचे से हवाई फायर किया गया । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 336/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनुज पुत्र अशोक निवासी मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनुज पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.वरि०उ०नि० श्री मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.कां० 118 प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नहतौर

दिनांक 25.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त ललित कुमार पुत्र पीताम्बर सिंह नि० ग्राम महमूदपुर मिलक थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 125/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. ललित कुमार पुत्र पीताम्बर सिंह नि० ग्राम महमूदपुर मिलक थाना नहतौर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

- 1-01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 2-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 2- का० 2159 आकाश थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 3- का० 1858 मनीष थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नहतौर

दिनांक 25.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त सौरभ उर्फ काले पुत्र देशराज सिंह नि० ग्राम महमूदपुर मिलक थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 126/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सौरभ उर्फ काले पुत्र देशराज नि० ग्राम महमूदपुर मिलक थाना नहतौर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर

2-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

2- का० 1345 विक्रांत राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

3- का० 1858 मनीष थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 25.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 81 पाउच अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त दयाराम पुत्र घासीराम नि० ग्राम जगरनाथपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 41 पाउच अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस



सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं०-121/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम दयाराम उपरोक्त पंजीकृत किया गया व अभियुक्त हरिसिंह पुत्र श्रीराम उर्फ सिरिया नि० ग्राम समसपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 40 पाउच अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 124/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम हरिसिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.दयाराम पुत्र घासीराम नि० ग्राम जगरनाथपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.हरिसिंह पुत्र श्रीराम उर्फ सिरिया नि० ग्राम समसपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

81 पाउच अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. हे०का० 797 सचिन मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. का० 133 मनवीर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का० 1276 राहुल थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. का० 1445 विक्रांत राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 25.03.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने ने मु0अ0सं0 95/24 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.03.2024 को वादिनी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त कुनाल उर्फ कालू पुत्र वर्मे निवासी ग्राम टांडा हिदायतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 95/24 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 बनाम कुनाल उर्फ कालू उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.03.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 95/24 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त कुनाल उर्फ कालू पुत्र वर्मे निवासी ग्राम टांडा हिदायतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कुनाल उर्फ कालू पुत्र वर्मे निवासी ग्राम टांडा हिदायतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2-हे0का0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3-म0का0 1416 आरती थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक- 25.03.2024

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2024 धारा 379/411 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 24.03.2024 को वादी अनिल पुत्र कृष्ण कुमार निवासी शेखपुरा गन्नोर जनपद सोनीपत हरियाणा ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कपिल पुत्र धनपत 2.बिजेन्द्र पुत्र हरबीर 3.अंकित पुत्र अग्रवाल व 4.कन्हैया पुत्र धीरे समस्त निवासीगण रायपुरघाटी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा वादी के आश्रम से 02 गाय चोरी कर ले गए । तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.03.2024 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2024 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.कपिल पुत्र धनपत निवासी रायपुर घाटी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड 2.बिजेन्द्र पुत्र हरबीर निवासी रायपुर घाटी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को चोरी गयी 02 गाय सहित गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1.कपिल पुत्र धनपत निवासी रायपुर घाटी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 2.बिजेन्द्र पुत्र हरबीर निवासी रायपुर घाटी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

बरामदगी का विवरण -

चोरी गयी 02 गाय ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 25.03.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.03.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 114/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सचिव उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सचिव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 364 लालू यादव थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. कां0 1177 पुनीत त्यागी थाना मंडावर जनपद बिजनौर